

**बीईएफ**

( मास्टर परिपत्र के खंड सी का पैरा सी.10.(ii) देखें )

आयात के लिए भेजे गए उन विप्रेषणों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण  
जिनके, अनुस्मारक भेजने के बावजूद, दस्तावेज़ी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए

प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा का नाम और पता -----

प्राधिकृत व्यापारी बैंक की नियंत्रक शाखा का नाम -----

-----को समाप्त अर्ध-वार्षिक विवरण

**टिप्पणी :**

i. विवरण, दो प्रतियों में, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा कार्यरत है, में जमा किया जाए।

ii. विवरण में केवल उन लेनदेनों के ब्योरे को शामिल किया जाए जहाँ विप्रेषण राशि 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक या उसके समतुल्य हो।

iii. जहां अग्रिम विप्रेषण के समय विप्रेषण का प्रयोजन आयात था और बाद में विदेशी मुद्रा का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किया गया हो जिसके लिए मुद्रा की बिक्री अनुमत हो और प्राधिकृत व्यापारी बैंक की संतुष्टि के अनुसार दस्तावेज़ जमा किए गये हों, तो ऐसे मामलों को चूक के मामले न समझा जाए और इसलिए उन्हें बीईएफ विवरण में शामिल न किया जाए।

iv. प्राधिकृत व्यापारी बैंक "इनटु बाण्ड बिल ऑफ एन्ट्री" को भारत में आयात के अंतिम साक्ष्य के रूप में स्वीकार करें। फिर भी वे यह सुनिश्चित करें कि घरेलू उपभोग के लिए सामान की बिल ऑफ एन्ट्री की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति उचित अवधि में प्रस्तुत की जाती है। जहां सीमा शुल्क विभाग द्वारा ईडीआई प्रणाली लागू कर दी गयी है और आयातक को शुल्क विभाग से "एक्स बांड बिल ऑफ एन्ट्री" की केवल एक प्रतिलिपि प्राप्त होती है, तो प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयातक को यह सूचित करें कि वे माल को वेअरहाऊस/ बांड से निकालने के पश्चात घरेलू उपयोग के लिए "एक्स बांड बिल ऑफ एन्ट्री" की फोटो कॉपी प्रस्तुत करें जिसे प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा विधिवत सत्यापित कराने के बाद आयात के अंतिम साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए। जहां " इनटु बाण्ड बिल ऑफ एन्ट्री " प्रस्तुत किया गया हो ऐसे मामलों को बीईएफ विवरण में रिपोर्ट न किया जाए।

v. विवरण में भारत से 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के सभी विप्रेषणों अथवा आयात संबंधी विदेश से प्राप्त भुगतान जिनमें अग्रिम भुगतान, विलंबित भुगतान आदि शामिल हैं, के ब्योरे निधीयन के स्रोत (जैसे ईईएफसी खाते/भारत और विदेश में रखे गए विदेशी मुद्रा खाते, बाह्य वाणिज्यिक उधारों से भुगतान, आयातक के शेयरों में विदेशी निवेश, आदि) पर ध्यान दिए बगैर, शामिल किए जाएं।



भाग II

पूर्ववर्ती बीईएफ विवरण/विवरणों के भाग I में सूचित आयातकों से बाद में प्राप्त आयात के दस्तावेज़ी साक्ष्यों के संबंध में जानकारी

क्रम सं.	आयातक का नाम और पता	बीईएफ विवरण की अवधि और पूर्ववर्ती बीईएफ विवरण के भाग-I में रिपोर्ट किए गए लेनदेन की क्रम सं.	प्राप्ति-तारीख	विप्रेषण की राशि		टिप्पणी
				करेंसी और राशि	समतुल्य रुपये	
1	2	3	4	5	6	7
ए: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों से इतर अन्य पार्टियों द्वारा आयात						
1						
2						
3						
4						
आदि						
बी : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों द्वारा आयात						
1						
2						
3						
आदि						

टिप्पणी : पिछले अर्ध वर्ष (छमाही) के लिए बीईएफ विवरण के भाग II में रिपोर्ट किए गए लेनदेनों को चालू अर्ध वर्ष के भाग II में दुबारा न रिपोर्ट न किया जाए ।

## प्रमाणपत्र

- i हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे रिकार्ड के अनुसार उक्त जानकारी सत्य और सही हैं।
- ii इसके अतिरिक्त हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि निर्धारित क्रियाविधि के अंतर्गत रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक सभी मामलों को विवरण में शामिल किया गया है।
- iii हम वचन देते हैं कि विवरण के भाग I में रिपोर्ट किए गए मामलों के बारे में आयातक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई/से पूछताछ जारी रखेंगे।

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

मुहर

नाम :

पदनाम :

तारीख :

स्थान :